

सैंट जॉन एम्बूलैस (भारत)

हरियाणा राज्य केन्द्र

सैंट जॉन एम्बूलैस (भारत), हरियाणा राज्य केन्द्र, चण्डीगढ की प्रबन्ध समिति की वर्ष 2019-20 की बैठक दिनांक 30.06.2020 अपराह्न 1:15 बजे, माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष, सैंट जॉन एम्बूलैस (भारत), हरियाणा राज्य केन्द्र की अध्यक्षता में हरियाणा राज भवन हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1	श्री सत्यदेव नारायण आर्य, माननीय राज्यपाल हरियाणा।	अध्यक्ष
2	श्री मनोहर लाल, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा	उप-प्रधान
3	श्री राजेश खुल्लर, भा0प्र0से0 प्रधान सचिव मुख्यमंत्री, हरियाणा	विशेष आमंत्रित
4	श्रीमति सुषमा गुप्ता, उपाध्यक्ष, भारतीय रैडकास समिति, हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ।	सदस्य
5	श्री अखिलेश कुमार मानद कोषाध्यक्ष, भारतीय रैडकास समिति, हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ	सदस्य
6	डा0 जी0 अनुपमा, भा0प्र0से0, माननीय राज्यपाल के सचिव।	आमंत्रित सदस्य
7	श्री भूपिंदर सिंह भा0प्र0से0, महानिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा।	सदस्य
8	श्री प्रदीप कुमार, भा0प्र0से0, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा हरियाणा।	सदस्य
9	श्री रमेश चंदर बिधान भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा सिरसा	सदस्य
10	श्री पंकज, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा नूह	सदस्य
11	श्री सुजान सिंह, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा कैथल	सदस्य
12	श्री राम सरूप वर्मा भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा रोहतक	सदस्य
13	श्री शिव प्रसाद, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा चरखीदादरी	सदस्य
14	श्री मुकेश कुमार आहूजा, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा पचकूला	सदस्य
15	श्री अशोक कुमार शर्मा, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा अम्बाला	सदस्य
16	श्री जितेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा झज्जर	सदस्य
17	श्री श्याम लाल पूनिया, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा सोनीपत	सदस्य
18	श्री अमित खत्री, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा गुरुगाम	सदस्य
19	डा0 आदित्य दहिया, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा जीन्द	सदस्य
20	श्री मुकुल कुमार, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा यमुनानगर	सदस्य
21	श्री नरेश कुमार, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा पलवल	सदस्य
22	श्री यश पाल, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा फरीदाबाद	सदस्य
23	श्री यशेंद्र सिंह, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा रिवाड़ी	सदस्य

24	श्री नरहरि सिंह बांगर, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा फतेहाबाद	सदस्य
25	श्री धीरेंद्र खडगटा, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा कूरुक्षेत्र	सदस्य
26	डाँ प्रियंका सोनी, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा हिसार	सदस्य
27	श्री धर्मेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा पानीपत	सदस्य
28	श्री राम कुमार सिंह, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा महेन्दगढ	सदस्य
29	श्री अजय कुमार, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा भिवानी	सदस्य
30	श्री निशांत कुमार यादव, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा करनाल	सदस्य
31	डा0 डी0 एन0 बागरी, निदेशक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा हरियाणा के प्रतिनिधि	सदस्य
32	डा0 डी0 एन0 बागरी, निदेशक ;नर्सिंग महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा हरियाणा	सदस्य
33	लेफ्टिनेंट कॉर्नल प्रेम सिंह, उप-महानिदेशक एन0सी0सी0 पंजाब हरियाणा, हिमाचल और केन्द्रशासित चण्डीगढ़ के प्रतिनिधि	सदस्य
34	श्री नवदीप, भा0पु0से0, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महानिदेशक, पुलिस हरियाणा के प्रतिनिधि	सदस्य
35	श्री डी0आर0 शर्मा, राज्य सचिव, सैन्टजॉन एम्बूलेंस (भारत), हरियाणा राज्य केन्द्र, चण्डीगढ़।	सदस्य सचिव
36	श्री अनिल नागर, संयुक्त निदेशक, महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा हरियाणा के प्रतिनिधि	सदस्य
37	श्री दिनेश सिंह यादव, अतिरिक्त महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा हरियाणा के प्रतिनिधि	सदस्य
38	श्री सर्बजीत सिंह, पी0डी0 परिवहन आयुक्त, हरियाणा के प्रतिनिधि	सदस्य
39	श्री अनिल कुमार जोशी, संयुक्त सचिव, सैन्टजॉन एम्बूलेंस (भारत), हरियाणा राज्य केन्द्र, चण्डीगढ़।	सदस्य

श्री डी0आर0शर्मा, सैन्टजॉन एम्बूलेंस (भारत), हरियाणा राज्य केन्द्र, चण्डीगढ़ द्वारा माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष, सैन्टजॉन एम्बूलेंस (भारत), हरियाणा राज्य केन्द्र, चण्डीगढ़ से अनुमति लेकर बैठक की कार्यसूची को प्रस्तुत किया। बैठक की कार्यवाही निम्नप्रकार से है:-

मद सं0	प्रस्ताव	समाधान
1	<p>सैन्टजॉन एम्बूलेंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र की प्रबन्ध समिति की दिनांक 30 अगस्त 2019 को हुई बैठक की कार्यवाही का पुष्टिकरण</p> <p>सैन्टजॉन एम्बूलेंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र की प्रबन्धसमिति की दिनांक 30 अगस्त 2019 को हुई बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट प्रबन्ध समिति के सभी सदस्यों को कार्यालय के पत्र क्रमांकन0 731/EC/2019/3294-3333 दिनांक 18.09.2019 द्वारा भेज दिया गया है। पत्र की प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।</p> <p>.....पुष्टिकरणहेतू</p>	<p>सदन ने सर्वसम्मति से बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि की।</p>

मद सं०	प्रस्ताव	समाधान
2	<p>30 अगस्त 2019 की प्रबन्ध समिति में लिए गए निर्णयों की प्रगति रिपोर्ट।</p> <p>2(10) (ii). उद्योगों के कर्मचारियों एवं श्रमिकों को प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण।</p> <p>सदन में विचार विमर्श उपरान्त सदन ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा द्वारा प्रस्तावित विषयों को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए तथा इस सन्दर्भ में सैंटजॉन एम्बूलेंस (भारत) हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ को भी अवगत कराया जाए।</p> <p>श्री नितिन यादव, भा०प्र०से०, हरियाणा सरकार के सचिव, कार्मिक प्रशिक्षण, सतर्कता एवं संसदीय कार्य विभाग तथा अतिरिक्त कार्यभार श्रम आयुक्त हरियाणा ने यह भी सुझाव दिया कि सैंटजॉन एम्बूलेंस (भारत) हरियाणा राज्य शाखा प्राथमिक सहायता के प्रशिक्षण के लिए श्रम विभाग को प्रस्ताव भेजकर अनुदान भी ले सकते हैं।</p> <p>(Action taken on proposal)</p> <p>राज्य सचिव सैंटजॉन एम्बूलेंस (भारत) हरियाणा राज्य शाखा ने सदन को आवस्त किया कि वे इस सम्बन्ध में श्रम विभाग को पत्र लिखकर प्राथमिक सहायता के प्रशिक्षण हेतु अनुदान बारे अनुरोध करेंगे।</p> <p>इस सन्दर्भ में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा द्वारा हरियाणा प्रदेश के सभी जिला उद्योग केन्द्रों के सयुक्त निदेशकों को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक टी०एस०/सैंटजॉन एम्बूलेंस(भारत)/रैडक्रास/हरियाणा/20639 दिनांक 04.11.2019 जारी करके इन निर्णयों को कियान्वित करने बारे निर्देश दे दिए गए हैं तथा इस कार्यालय को भी सूचित कर दिया है।</p> <p>इस कार्यालय द्वारा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा द्वारा जारी निर्देशों की प्रति सभी उपायुक्त एवं प्रधान, जिला सैंटजॉन केन्द्र हरियाणा को पत्र क्रमांक 731/ई०सी०/2019-20/4550-4571 दिनांक 22 नवम्बर 2019 को आवश्यक कारवाई हेतु भेज दी गई है।</p> <p>श्री नितिन यादव, भा०प्र०से० द्वारा दिए गए सुझाव पर सैंटजॉन एम्बूलेंस (भारत) हरियाणा राज्य शाखा द्वारा श्रम विभाग हरियाणा को पत्र क्रमांक 731/ई०सी०/2019-20/4260 दिनांक 31.10.2019 को प्राथमिक सहायता प्रशिक्षण को कौशल विकास में सम्मिलित किए जाने बारे अनुरोध किया था तथा स्टोन कैशर, ईट भट्ठों पर काम करने वाले श्रमिकों, उद्योगों में कार्यरत सुरक्षा गार्डों तथा अकुशल श्रमिकों को प्राथमिक सहायता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए श्रम विभाग हरियाणा को सभी 22 जिलों के लिए 1,32,00,000/- रुपए का प्रस्ताव अनुदान के लिए भेजा गया था, ताकि इन लोगों के लिए प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण निशुल्क प्रदान किया जा सके। परन्तु इस विषय पर श्रम विभाग हरियाणा द्वारा कोई कारवाई नहीं की गई।</p>	<p>सदन में सर्वसम्मति से यह पारित किया गया कि इस विषय बारे श्रम विभाग हरियाणा को अनुदान के लिए पुनः अनुरोध किया जाए।</p>

मद सं०	प्रस्ताव	समाधान
3	<p>वर्ष 2019-20 की गतिविधि रिपोर्ट: सैंट जॉन एम्बूलैस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र एवं जिला शाखाओं द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान की गई गतिविधियों की रिपोर्ट परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।सूचनार्थ</p>	<p>सदन ने नोट किया एवं गतिविधियों की सराहना की।</p>
4	<p>वर्ष 2019-20 के लिए प्राथमिक सहायता एवं गृह परिचर्या के प्रशिक्षण बारे तथा वर्ष 2020-21 के लिये प्रशिक्षण लक्ष्य निर्धारण बारे।</p> <p>सैंट जॉन एम्बूलैस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक जिले को कुल जनसंख्या के 1% व्यक्तियों को प्राथमिक सहायता व गृह परिचर्या में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य दिया जाता है। हरियाणा राज्य में जिला सेन्ट जॉन शाखाओं द्वारा कोरोना वायरस से लॉकडाउन होने के कारण वर्ष 2019-20 के दौरान 1,02,272 व्यक्तियों को प्राथमिक सहायता एवं गृह परिचर्या विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।</p> <p>अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए तथा सामाजिक/शारीरिक दूरी की पालना को मध्यनजर रखते हुए जिला सैंटजॉन शाखाओं को वर्ष 2020-21 के लिये प्राथमिक सहायता व गृह परिचर्या में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित न किया जाए अपितु सभी जिला सैंटजॉन शाखाओं को यह निर्देश जारी कर दिए जाए कि प्राथमिक सहायता व गृह परिचर्या का प्रशिक्षण जिले में कोरोना वायरस का संकमण एवं सामाजिक दूरी को मध्यनजर रखते हुए दिया जाए तथा प्रशिक्षणार्थियों को कोरोना वायरस के संकमण से बचने के लिए जागरुक भी किया जाए। सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ</p>	<p>सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदित किया।</p>
5	<p>जिला सैंट जॉन शाखाओं में जिला प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने बारे।</p> <p>हरियाणा प्रदेश की दस जिला सैंटजॉन केन्द्रों, गुरुग्राम, चरखी दादरी, जीन्द, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी, कैथल, फतेहाबाद, पलवल और यमुनानगर में जिला प्रशिक्षण अधिकारियों के पद काफी लम्बे समय से रिक्त थे। 20 जनवरी 2018 एवं 30 अगस्त 2019 को हुई प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों में सभी उपायुक्तों को जिला प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने बारे अनुरोध किया गया था।</p> <p>नियमानुसार 40 प्रतिशत पदों को माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष सैंटजॉन एम्बूलैस (भारत), हरियाणा राज्य केन्द्र के आदेश दिनांक 17.06.2020 से पदोन्नति द्वारा जिला सैंटजॉन केन्द्र पलवल, फतेहाबाद, कैथल, यमुनानगर में भरे जा चुके हैं। इसके पश्चात रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति निम्न है:-</p>	<p>उपायुक्त एवं प्रधान जिला सैंटजॉन केन्द्र कुरुक्षेत्र ने सदन को अवगत कराया कि जिला प्रशिक्षण अधिकारी कुरुक्षेत्र के पद के लिए बहुत से अभ्यर्थी उनसे मिलते हैं। इस बारे में राज्य सचिव सैंटजॉन एम्बूलैस (भारत), हरियाणा राज्य केन्द्र ने बताया कि इस पद को भरने के लिए उपायुक्त एवं प्रधान सक्षम हैं।</p> <p>माननीय मुख्यमन्त्री एवं उप-प्रधान सैंटजॉन एम्बूलैस (भारत), हरियाणा राज्य केन्द्र ने यह सुझाव दिया कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत चिकित्सक प्राथमिक सहायता एवं गृह परिचर्या का प्रशिक्षण दे सकते हैं और निर्देश दिया कि जिला प्रशिक्षण अधिकारियों के पद भरने से पहले स्वास्थ्य विभाग हरियाणा से सम्पर्क कर लिया जाए कि वो उक्त प्रशिक्षण प्रदान</p>

मद सं०	प्रस्ताव	समाधान																					
	<table border="1" data-bbox="215 149 914 390"> <thead> <tr> <th>क्र०सं०</th> <th>जिले का नाम</th> <th>जिलाप्रशिक्षणअधिकारी के पद का विवरण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>गुरुग्राम</td> <td>रिक्त</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>चरखीदादरी</td> <td>रिक्त</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>जीन्द</td> <td>रिक्त</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>कुरुक्षेत्र</td> <td>रिक्त</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>पानीपत</td> <td>रिक्त</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>रेवाड़ी</td> <td>रिक्त</td> </tr> </tbody> </table> <p>जिला स्तर पर बार-बार अनुरोध करने के उपरान्त भी उपरोक्त पदों को भरने की प्रक्रिया नहीं की जा रही है। कोरोना वायरस में लॉकडाउन के दौरान जिला शाखाओं ने बहुत सराहनीय कार्य किए हैं, परन्तु उपर्युक्त जिलों में जिला प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के कारण सम्बन्धित जिला सैटजॉन शाखाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इन पदों की रिक्ति से प्राथमिक सहायता एवं गृह परिचर्या का प्रशिक्षण कार्य भी प्रभावित हो रहा है।</p> <p>अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि सैटजॉन एम्बूलेंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र उपरोक्त 6 पदों को भरने के लिए राज्य स्तर पर इन पदों का विज्ञापन दिया जाए तथा तीन माह के अन्दर इन रिक्त पदों को भर लिया जाए। जिला प्रशिक्षण अधिकारी के पद के लिए जिला स्तर पर गठित साक्षात्कार कमेटी को कमेटी द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार ले लिया जाए। इससे सभी जिलों में रिक्त पड़े पदों को भर भी दिया जाएगा तथा जिला सैटजॉन शाखाओं के कार्य में भी प्रगति होगी।</p> <p>..... सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ</p>	क्र०सं०	जिले का नाम	जिलाप्रशिक्षणअधिकारी के पद का विवरण	1	गुरुग्राम	रिक्त	2	चरखीदादरी	रिक्त	3	जीन्द	रिक्त	4	कुरुक्षेत्र	रिक्त	5	पानीपत	रिक्त	6	रेवाड़ी	रिक्त	<p>करने के लिए अपने चिकित्सक इस कार्यालय को भेजें। इस बारे सर्वसम्मति से यह पास किया गया कि तदानुसार आगामी कारवाई कर ली जाएगी।</p>
क्र०सं०	जिले का नाम	जिलाप्रशिक्षणअधिकारी के पद का विवरण																					
1	गुरुग्राम	रिक्त																					
2	चरखीदादरी	रिक्त																					
3	जीन्द	रिक्त																					
4	कुरुक्षेत्र	रिक्त																					
5	पानीपत	रिक्त																					
6	रेवाड़ी	रिक्त																					
6	<p>वाहन चालकों के लिए एक दिवसीय प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण।</p> <p>यह प्रस्तुत किया जाता है कि सैटजॉन एम्बूलेंस हरियाणा राज्य केन्द्र की प्रबन्ध समिति की बैठक 30 अगस्त 2019 को माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष सैटजॉन एम्बूलेंस हरियाणा राज्य केन्द्र की अध्यक्षता में हुई थी तथा इस बैठक में सर्वसम्मति से यह पारित किया गया था कि परिवहन विभाग हरियाणा द्वारा सैट जॉन एम्बूलेंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र एवं जिला केन्द्रों द्वारा प्रदत्त एक दिवसीय बेसिक प्राथमिक सहायता को पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण के मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) में शामिल करके सैट जॉन एम्बूलेंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र को अवगत कराएंगे।</p> <p>इस बैठक में पारित प्रस्ताव की अनुपालना करते हुए सैट जॉन एम्बूलेंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र द्वारा आयुक्त परिवहन विभाग को पत्र क्रमांक 731/ ई0सी0/ 2019-20/4260 दिनांक 31.10.2019 द्वारा एक दिवसिय बेसिक प्राथमिक सहायता प्रशिक्षण को (SOPs) में डालने बारे पुनः भी अनुरोध किया था, परन्तु इस विषय में अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई।</p> <p>अतः यह प्रस्तावित किया जाता है परिवहन विभाग हरियाणा एक दिवसिय बेसिक प्राथमिक सहायता प्रशिक्षण को SOP में डालकर 15 दिन के अन्दर सैटजॉन एम्बूलेंस हरियाणा राज्य केन्द्र को सूचित करें ताकि पिछली प्रबन्ध समिति की बैठक में पारित निर्देशों की अनुपालना हो सके।</p> <p>..... सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ</p>	<p>सर्वसम्मति से यह पारित किया कि इस विषय में परिवहन विभाग हरियाणा से पुनः अनुरोध कर लिया जाए।</p>																					

मद सं०	प्रस्ताव	समाधान
7	<p>ऑन-लाईन प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण</p> <p>यह प्रस्तुत किया जाता है कि सैट जॉन एम्बूलैस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र द्वारा दिनांक 26 मई 2020 तथा 1 जून 2020 को सभी सचिव जिला रैडकास/सैटजॉन शाखाओं के साथ वीडियो कानफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया। इन बैठकों में जिला सैटजॉन शाखाओं के सभी सचिवों ने यह सुझाव दिया कि सभी जिलों में एक दिवसीय बेसिक प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण ऑन-लाईन कर दिया जाए ताकि प्रशिक्षण के साथ-साथ शारीरिक दूरी के नियमों की पालना भी हो सके। इन बैठकों में यह भी पारित किया गया कि सैटजॉन एम्बूलैस हरियाणा राज्य शाखा सभी जिलों के लिए राज्य स्तर पर निविदाएं आमन्त्रित करके ऑन-लाईन प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि सभी जिलों में प्रशिक्षण की एकरूपता रहे।</p> <p>इस सन्दर्भ में सैटजॉन एम्बूलैस हरियाणा राज्य केन्द्र द्वारा ऑन-लाईन एक दिवसीय प्राथमिक सहायता प्रशिक्षण को शुरू करने बारे समाचार पत्र में निविदा देने की अनुमति हेतु दिनांक 28.05.2020 को कार्यालय का नोट संख्या 731/ई0सी0/एच0आर0सी0/2020-21/36 माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष सैटजॉन एम्बूलैस (भारत), हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ को भेजा जा चुका है।</p> <p>..... सूचनार्थ एवं अनुसमर्थनार्थ</p>	<p>सदन ने विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया।</p>
8	<p>वित्तीय उप-समिति के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।</p> <p>सैटजॉन एम्बूलैस (भारत), हरियाणा राज्य केन्द्र की वित्तीय उपसमिति की बैठक दिनांक 18.06.2020 के कार्यवृत्त परिशिष्ट 'घ' पर सलंग्न है।</p>	<p>सदन ने सर्वसम्मति से उप-समिति के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी।</p> <p>डा० जी० अनुपमा, राज्यपाल के सचिव ने यह बताया कि सैटजॉन के कार्यक्रमों के लिए हरियाणा रैडकास अनुदान करती है और उसका आय का साधन बहुत कम है और इसका वेतन इत्यादि बहुत ज्यादा है। इस पर माननीय मुख्यमन्त्री एवं उप-प्रधान ने यह कहा कि सैटजॉन को रैडकास में समायोजित कर दिया जाए। इस पर श्री डी०आर०शर्मा महासचिव ने अवगत कराया कि इस बारे राष्ट्रीय मुख्यालय से सलाह ले ली जाएगी।</p>
9	<p>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई बिन्दु।</p>	<p>उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त कोई अन्य बिन्दु चर्चा के लिए नहीं रखा गया।</p>

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ।

हस्ता/—
उपाध्यक्ष

हस्ता/—
राज्य सचिव

हस्ता/—
माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष
सैटजॉन एम्बूलैस (भारत)
हरियाणा राज्य केन्द्र

